रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2000/भाद्र 10, 1922
No. 570] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2000/BHADRA 10, 1922

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2000

का. आ. 793(अ).—केन्द्रीय सरकार ने कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) के विभिन्न उपबंधों के तहत कतिपय दस्तावेजों को फाईल करने में अन्तर्विष्ट अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने और विलम्ब की अवधि के प्रशमन के लिए कम्पनी विधि समाधान स्कीम 2000 इसके बाद उक्त स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट नामक एक स्कीम बनाई थी ; और

2. स्कीम की अवधि 1 जून, 2000 से 31 अगस्त, 2000 तक थी ; और

3. केन्द्रीय सरकार ने उक्त स्कीम की अवधि में वृद्धि करने के लिए वाणिज्य मण्डल, व्यावसायिक संस्थाओं और कारपोरेट सेक्टर से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त किए हैं ताकि कम्पनियां इसका लाभ उठा सकें । केन्द्रीय सरकार ने इन अभ्यावेदनों की जांच करली है और इस स्कीम को 30 सितम्बर, 2000 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

4. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 637 के साथ पठित धारा 637 ख के खण्ड(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा कम्पनी विधि समाधान स्कीम, 2000 में इस अनुबन्ध के साथ 30 सितम्बर, 2000

के अपराह्न 5 बजे तक वृद्धि करती है कि कम्पनियों को अब विद्यमान एक मुश्त राशि के अतिरिक्त 10 % अदा करना होगा ।

5. 1.9.2000 के बाद उक्त स्कीम के अन्तर्गत दस्तावेजों को फाइल करने वाली कम्पनियों द्वारा अब देय संशोधित एक मुश्त राशि निम्न प्रकार होगी:-

क्रम संख्या	दस्तावेजों की संख्या	3 वर्ष से कम विलम्ब के लिए संदेय राशि	3 वर्ष से अधिक विलम्ब के लिए संदेय राशि
क)	2 तक	2,750 रू0	3,300 रू0
ख)	5 तक	5,500 रू0	6,600 रू0
ग)	10 तक	8,250 रू0	9,900 रू0
घ)	10 से अधिक	11,000 रू0	16,500 रू0

6. 31.5.2000 को जारी की गई कम्पनी विधि समाधान स्कीम की अन्य निबन्धन व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी ।

[फा. सं. 1/5/2000-सी.एल.-V]
डा. पी.एल. संजीव रेड्डी, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2000

S. O. 793(E).—Whereas the Central Government had made a Scheme namely, the Company Law Settlement Scheme, 2000 (hereinafter referred to as the said scheme) published vide Notification NO: SO 529 (E) dated 31.5.2000 for granting immunity from prosecution and compounding the period of delay involving in filing certain documents under various provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and

2. Whereas the period of the Scheme was from 1st June, 2000 to 31st August, 2000, and

3. Whereas the Central Government has received numerous representations from Chambers of Commerce, Professional Institutes and Corporate Sector for extension of

time of said scheme to enable companies to avail its benefit. The Central Government has examined the representations and has decided to extend the Scheme till 30th September, 2000.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of section 637B read with Section 637 of the said Act, the Central Government hereby extends the Company Law Settlement Scheme, 2000 upto 5.00 PM of 30th September, 2000 with the stipulation that the Companies will now have to pay 10% over and above the existing lump sum amounts.

5. The revised lump sum amounts now payable by the companies filing documents under said scheme after 31.8.2000 would be as under:

Sl. No:	Number of documents	Amount payable for delay less than 3 years	Amount payable for delay for period more than 3 years
a)	Upto 2	Rs.2,750	Rs.3,300
b)	Upto 5	Rs.5,500	Rs.6,600
c)	Upto 10	Rs.8,250	Rs.9,900
d)	More than 10	Rs.11,000	Rs.16,500

6. The Other terms and conditions of the Company Law Settlement Scheme issued on 31.5.2000 remain unchanged.

[F. No. 1/5/2000–CL-V]
Dr. P. L. SANJIV REDDY, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.